राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005
CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227651, 2227514, E-mail- rajseedsaccounts@gmail.com

क्रमांक एफ 4 (आ.अं.)राजसीड्स / लेखा / 2025–26 / 9592 दिनांक 12/08/25

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि0 पन्त कृषि भवन,जयपुर को मुख्यालय एवं इकाईयो के वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के आन्तरिक अंकेक्षण कार्य हेतु निगम / बोर्ड / स्वायत शासी संस्था में कार्यों / अंकेक्षण का गत पाँच वर्षों में (वर्ष 2020–21 से 2024–25) कम से कम 02 वर्षो का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस फर्मों से दिनांक 18.08.2025 को सांय 3.00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य का विवरण तथा शर्ते निम्नानुसार हैः–

I. आन्तरिक अंकेक्षण सम्बन्धी कार्य इकाईयों एवं मुख्यालय का

चार्टर्ड अकाउन्टटेन्टस फर्म के द्वारा निगम की राजस्थान में स्थित विभिन्न इकाईयों एवं जयपुर में स्थित मुख्यालय पर आन्तरिक अंकेक्षण करवाया जाना है। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :–

(अ) लेखा :–

1. नकद का भौतिक सत्यापन।
2. प्राप्ति एवं वाउचर्स की जाँच रोकड़ बही से एवं उनके साथ संलग्न वाउचर्स इत्यादि।
3. कैश बुक की जाँच एवं दैनिक आधार पर भरी जा रही है की जॉच।
4. बैंक समाधान विवरण पत्रों की जाँच (मासिक आधार पर)।
5. क्रय एवं विक्रय का समायोजन उचित तरीके से संधारण की जॉच।
6. समस्त प्रकार की बकाया की सूचनायें वर्षवार एवं पार्टीवाईज संधारित की जा रही है। साथ ही उनसे वसूली सम्बन्धी कार्यवाही।
7. समस्त प्रकार के वाउचर्स की जाँच उसमें की जाने वाली वैधानिक कटौतियों की जाँच एवं उनका समय पर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना आदि की जाँच।
8. अन्य कोई भी कार्य मुख्यालय के निर्देशानुसार।

(ब) स्वयं उत्पादन एवं सीधी क्रयः–

निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एवं मुख्यालय द्वारा जारी क्रय आदेश के अनुसार माल प्राप्त करते समय पालना की जा रही है तथा क्रय समायोजन की जॉच।

इनसे सम्बन्धित की स्टॉक प्रविष्टी एवं इनका उचित तरीके से संधारण हो रहा है।

(स) विधायन सामग्रीः– मुख्यालय द्वारा जारी आदेश अनुसार विधायन सामग्री का स्टॉक इन्द्राज एवं उपयोग के बारें में जाँच।

(द) विपणनः– माल के बिल्स समय पर बनाये जा रहे है। बिलों की मात्रा एवं स्टॉक रजिस्ट्रर से मात्रा का मिलान। अंडरसाइज बीज एवं अमानक बीजों का समय पर नीलामी किया जाना।

(य) स्टॉकः– स्थायी सम्पत्तियों, बीजों एवं विधायन सामग्री का भौतिक सत्यापन करना। जिनका मिलान वास्तविक एवं स्टॉक रजिस्टर के अनुसार जाँच।

(र) अन्य कार्यः– वेतन सम्बन्धी क्लेम की जाँच एवं इसमें से काटी गई कटौतियों को समय पर निर्धारित अथॉरिटी के पास जमा करवाया जाना की जॉच। अदत्त दायित्व, पूर्वदत्त व्यय का समायोजन आदि की जॉच।

RajKaj Ref No.:
17082919
eSign DSC

लेखा मानक के आधार पर समस्त मानकों की पालना की सुनिश्चितता की जाँच। वैधानिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार अंकेक्षण सम्बन्धी कार्य में सहयोग एवं अंकेक्षण आक्षेपों का जवाब इत्यादि सम्बन्धी कार्य।

तलपट, स्टॉक स्टेटमेंन्ट, विविध देनदारों, विविध लेनदारों एवं स्टॉफ अग्रिम सूचियों का सत्यापन।

अंकेक्षण के दौरान आन्तरिक सूचनाओं को गोपनीय रखना।

II <u>शर्ते :–</u>

(अ) रिपोर्ट बिन्दुबार छःमाही आधार पर प्रस्तुत की जानी है। प्रथम छःमाही (अप्रैल से सितम्बर) की रिपोर्ट 30 नवम्बर तक तथा द्वितीय छःमाही (अक्टुबर से मार्च) की रिपोर्ट 31 मई तक प्रस्तुत की जानी है।

(ब) ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यालय को तथा एक प्रति सम्बन्धित इकाई को मय बिल के प्रस्तुत करनी होगी।

(स) ऑडिट फीस का भुगतान छः माही आधार पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं कार्य संतोषप्रद होने पर सम्बन्धित इकाई द्वारा किया जायेगा।

III <u>प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–</u>

(अ) फर्म को अपने रजिस्ट्रेशन की प्रति भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) कार्य अनुभव हेतु गत पाँच वर्षों में (वर्ष 2020–21 से 2024–25) किन्ही दो वर्षों में निगम/बोर्ड/स्वांयत शासी संस्था में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। जिन फर्मो को जितना अधिक वर्षो का कार्य अनुभव होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। अनुभव के सम्बन्ध में कार्य आदेशों की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें। बिना कार्य आदेशों के प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा।

IV **फीस वार्षिक आधार पर निम्नानुसार निर्धारित है :–**

श्री गंगानगर इकाई	रु. 22,000/– (प्रतिवर्ष)	नियमानुसार जीएसटी अलग से
कोटा इकाई	रु. 22,000/– (प्रतिवर्ष)	नियमानुसार जीएसटी अलग से
दुर्गापुरा/ढ़िढ़ौल (बस्सी) इकाई	रु. 18,000/– (प्रतिवर्ष)	नियमानुसार जीएसटी अलग से
'मुख्यालय	रु. 22,000/– (प्रतिवर्ष)	नियमानुसार जीएसटी अलग से
अन्य समस्त इकाईयाँ (प्रति इकाई)	रु. 15,000/– (प्रतिवर्ष)	नियमानुसार जीएसटी अलग से
नोट :– निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई अन्य व्यय, यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।		

अतः इच्छुक फर्म अपना आवेदन प्रस्ताव मय वांछित दस्तावेजों सहित दिनांक 18.08.2025 को सांय 3:00 बजे तक राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि0 पंत कृषि भवन,जयपुर को प्रस्तुत कर सकते है।

(निमिषा गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
(DIN 10565348)

प्रतिलिपिः–1. मैसर्स...

2.नोटिस बोर्ड।

प्रबन्ध निदेशक
(DIN 10565348)

Document certified by NIMISHA GUPTA <dsmedicalgroup2@gmail.com>.

Digitally Signed by Nimisha Gupta
Designation : Managing Director
Date :12-08-2025 10:42:43

RajKaj Ref No.: 17082919
eSign DSC